



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक : वित्त प्रकोष्ठ / 2020-21 / 297

दिनांक : 21/1/2021

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक 578 दिनांक 28.03.2013 के द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2013) की राजस्थान आवासन मण्डल में अक्षरशः अनुपालना किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2013) में समय-समय पर संशोधन किये जाते हैं। अतः उपरोक्त अधिनियम एवं नियमों में समय-समय पर होने वाले संशोधन राजस्थान आवासन मण्डल में स्वतः ही लागू माने जायेंगे।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त/मुख्यालय
5. वरिष्ठ निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार /मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निजी सहायक-वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक/वरिष्ठ लेखाधिकारी-1, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. लेखाधिकारी-(Payment), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड
9. कार्यालय प्रति।

वित्तीय सलाहकार